

[1]

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी-उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 109/2025
(जीसीएमएस संख्या 2025/197)

निर्णय दिनांक: 12-12-25

1. दयाराम पुत्र नौरंगराम जाति नाई निवासी चक 2 डी छोटी तहसील श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।

-अपीलांट

-बनाम-



स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

-रेस्पोंडेन्ट


अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 18-08-1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री गिरधारीलाल रामावत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलापचन्द, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-


1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 18-08-1999 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई।


राजस्थान राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के पिता/पति द्वारा बतौर विशेष आवंटन हेतु चक 18 डी डब्ल्यू डी के मुरब्बा नम्बर 13/45 तादादी 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तमाम सबूतों के साथ प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर अधीनस्थ द्वारा अपीलांट द्वारा अपीलांट के पिता/पति का आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उक्त रकबा अविज्ञापित है। अपीलांट के पिता/पति द्वारा आवेदन प्रस्तुत करते समय राजस्थान राज पत्र में बतौर विशेष आवंटन में आवंटित किये जाने हेतु विज्ञापित भूमि को गजट में देखकर ही आवेदन प्रस्तुत किया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरुद्ध अपीलांट का आवेदन खारिज किया है।



अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 18-08-1999 में यह अंकित किया है कि प्रार्थी/अपीलांट दयाराम ने चक नं. 18 डीडब्ल्यू डी के मुरब्बा नम्बर 13/45 की भूमि अविज्ञापित होने के कारण अपीलांट का आवेदन खारिज किया गया है। अपीलांट के आवेदन पर इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि अविज्ञापित है। इसलिए अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। आरआरटी 2014-15 (सप) पेज 455 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अपने कथनों के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट ने आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।


4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते हैं। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोंडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुण पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, प्रस्तुत प्रकरण बतौर विशेष आवंटन हेतु चक नं. 18 डीडब्ल्यू डी के मुरब्बा नम्बर 13/45 तादादी 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के आवेदन को दर्ज करते हुए




राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर


[4]

पत्रावली आगामी तारीख पेशी 25-02-1999 को पेश होने का लिखा गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 18-08-1999 में पत्रावली पेशी में लेते हुए अपीलान्त का आवेदन इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलान्त द्वारा आवेदित चक नं. 18 डीडब्ल्यू डी के मुरब्बा नम्बर 13/45 अविज्ञापित है। इसलिए अपीलान्त के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थी/अपीलान्त का प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति की राय से खारिज किया जाता है। इस बाबत अपीलान्त को किसी प्रकार की सूचना या सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को किसी प्रकार का कोई नोटिस प्रेषित नहीं किया गया ना ही आदेशिका में नोटिस प्रेषित करने बाबत आदेश किया गया।



प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की कतई जाँच नहीं की गई कि अगर उक्त रकबा गजट में उपलब्ध नहीं है तो अपीलान्त से गजट की प्रति मंगवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को रकबा बाबत समस्त सबूत पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र अपीलान्त के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के उद्देश्य मात्र से बिना तथ्यों की जाँच व अपीलान्त का सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा आदेश पारित किया गया है।

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र अपीलान्त के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के उद्देश्य मात्र से एक साईक्लोस्टाईल आदेश के माध्यम से अपीलान्त का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी त्रुटि कारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे अपीलान्त को वांछित सबूत प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान करते। विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना कोई आदेश पारित किया जाता है तो ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किये गये आदेश की श्रेणी में आता है। प्रस्तुत प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जो पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में


राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर

[5]

नहीं आता है। आरआरटी 2014-15 (सप) पेज 455 का न्यायिक दृष्टांत में भी यह अभिधारित किया गया है कि **Application for special allotment was dismissed ex-parte without giving any notice- No opportunity of hearing given- Held, order set aside and the authority is directed to decide the application afresh.** उपरोक्त नजीर प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है।


सम्पूर्ण विवेचन से यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक नं. 18 डीडब्ल्यु डी के मुरब्बा नम्बर 13/45 तादादी 25 बीघा भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा गजट में अविज्ञापित होने के कारण अपीलांट का आवेदन खारिज किया गया है।



अपीलांट का यह कहना है कि रकबा गजट में प्रकाशित था जबकि अपीलांट का आवेदन मुरब्बा अविज्ञापित लिखकर खारिज कर दिया।


न्यायालय के समक्ष मूल विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 18-08-1999 को चक नं. 18 डीडब्ल्यु डी के मुरब्बा नम्बर 13/45 विशेष आवंटन हेतु गजट में प्रकाशित था अथवा नहीं? पत्रावली पर गजट की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं होने से इस संबंध में कोई विनिश्चय नहीं किया जा सकता। परन्तु यह तथ्य निर्विवाद है, प्रथम की अपीलांट का इस रकबे से संबंधी आवेदन बिना सुनवाई के खारिज किया गया।

उक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट आशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इस बिन्दू की जांच करे कि क्या चक नं. 18 डीडब्ल्यु डी के मुरब्बा नम्बर 13/45 की 25 बीघा भूमि विशेष आवंटन हेतु गजट में विज्ञापित था अथवा नहीं? यदि यह रकबा दिनांक 18-08-1999 को विशेष आवंटन हेतु गजट में विज्ञापित पाया जावे तो तो अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों व अद्यतन परिपत्रों के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।


राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर

[6]

7. निर्णय आज दिनांक 12-12-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

